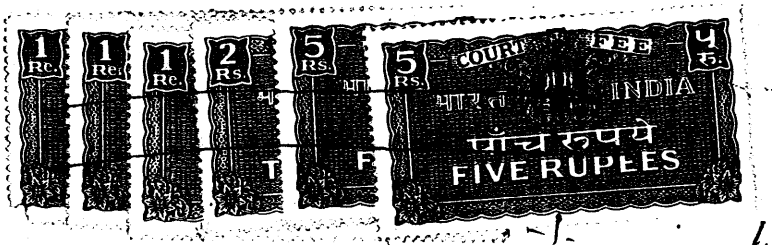

41

15/-

न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. -----/07 निगरानी

R 182-II/07

1- सुगंध सिंह पुत्र सुवालाल

2- वीरेन्द्र सिंह
3- लोकेन्द्र सिंह
4- गोविंद सिंह
(पुत्रगण जगजीत सिंह)

5- भरतपाल
6- हरीशंकर
7- प्रीतम सिंह
(पुत्रगण गयाराम)

8- श्रीमती शशी का पत्नी लक्ष्मीनारायण पुत्री

स्व० बद्रीप्रसाद

9- गजाधर सिंह पुत्र यशवंत सिंह

समस्त जाति किरार ठाकुर निवासीगण

शिकारपुर परगना व जिला मुरैना (म०प्र०)

------- आवेदकगण

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा विशेष कर्तव्याधिकारी

व्यपवर्तित भूमि मुरैना (अनु० अधि० मुरैना)

------- अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभागके प्र.क्र. 256/00-01

अपील मालमे पारित आदेश दिनांक30-6-03 के विरूद्ध

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

श्री ... यादव ... द्वारा आज दि० 27-1-07 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

Pandey 27-1-07

R.B. yadav

---

श्रीमानजी,

पुनरीक्षण निम्नांकित प्रस्तुतहै:-

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 182/11/2007 निगरानी जिला मुरैना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 8-12-2017 | आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री के.के.द्विवेदी द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल,संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 256/2000-01/अपील में पारित आदेश दिनांक 30-6-2003 से परिवेदित होकर, म0प्र0भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br><br>2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि, अनुविभागीय अधिकारी मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 37/1996-97/अ-2 में पारित आदेश दिनांक 31-1-1997 के द्वारा आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर व्यपर्वतन आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध आवेदकगण ने कलेक्टर मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 49/2000-01/अ-2/अपील पर दर्ज की जाकर, आदेश दिनांक 29-5-2001 को खारिज की गई। जिससे विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण कमांक 256/2000-01/अपील प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 30-6-2003 द्वारा आवेदकगण की अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर, आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।<br><br>3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कंहा गया है कि, अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया है जबकि आवेदकगण के समक्ष कोईस्थल निरीक्षण नहीं कियागया और न ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। गलत व अवैध आधार पर आवेदक कमांक-5 को छोडकर शेष की तामीलों पर लेने से इन्कार का नोट अवैध आधार पर लगाया गया जबकि ऐसी तामील को अधीनस्थ न्यायालय | |

अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने वैधानिक मानकर आवेदकगण क विरूंद्ध एकपक्षीय कार्यवाही गलत व अवैध आधार पर की गई है। इस कारण न्यायालय विशेष कर्तव्याधिकारी व्यपवर्तित भूमि मुरैना (अनुविभागीय अधिकारी) व कलेक्टर महोदय एवं अपर आयुक्त महोदय के विचारणीय आदेश विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जावें। अतं में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4/ अनावेदक शासन की ओर से शासकीय पैनल अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन पर निगशानी मेमो तथा अभिलेख एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि, न्यायालय विशेष कर्त्तव्याधिकारी परिवर्तित भूमि, जिला मुरैना द्वारा नियमानुसार आवेदकगण को नोटिस जारी जाने का आदेश दिया जाकर तामील भी जारी की गई। नाटिस दिनांक 9–8–1996 को लेने से इंकार करने पर पुनः सूचना पत्र भेजा गया जो आवेदकगण कमांक–5 भरतपाल सिंह पर तामील हुआ इससे स्पष्ट है कि आवेदकगण सूचना के बाबजूद अनुपस्थित रहे जिसके कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया हैं। जिसकी अपील अपीलीय न्यायालय में होने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा है।

इस प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि, ग्राम शिकारपुर तहसील व जिला मुरैना स्थित सर्वे कमांक 130 मिन रकवा 1 बीघा 16 विस्बा पर पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण व्यपरिवर्तन हेतु पंजीवद्ध कर पुनः निर्धारिण 8316=00 एवं प्रीमियम 468=00 वर्ष 1980–81 से निर्धारित करते हुए विधिवत आदेश पारित किया गया था । आवेदकगण पर तामीली होने के बाबजूद भी आवेदकगण अनुपस्थित रहा उनका दायित्व था कि सारी आपत्तियां

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाई जा सकती थी किंतु आदेश होने के पश्चात आवेदकगण पर वसूली की कार्यवाही होने पर भी आवेदकगण द्वारा विलम्ब से अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त करने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीक नहीं होता है।

6/ उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त चंबल,सभांग मुरैना का आदेश दिनांक 30–6–2003 विधि सम्मत होने से स्थिर रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हो, प्रकरण दाखिला रिकार्ड हो।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश,ग्वालियर